

न्यायालय:-अमनदीप सिंह छाबड़ा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर,
जिला बालाघाट(म0प्र0)

प्रकरण क्रमांक 367 / 11

संस्थित दिनांक -08 / 06 / 11

म0प्र0 राज्य द्वारा, थाना बैहर
 जिला बालाघाट म0प्र0

..... अभियोगी

// विरुद्ध //

01. सुरेन्द्र कुमार धुर्वे वल्द रामसाय धुर्वे
 उम्र 29 वर्ष नि-वार्ड नं 16 बहादुरगंज
 (कर्वधा) छत्तीसगढ़
02. रामकुमार सोनी बल्द डिकऊ प्रसाद
 उम्र 47 वर्ष (कर्वधा) छत्तीसगढ़

..... आरोपीगण

::निर्णय::

{ दिनांक **28 / 11 / 2016** को घोषित }

1. आरोपी सुरेन्द्र के विरुद्ध धारा 279, 337, 338 भा.द.वि. के अंतर्गत यह आरोप है कि आरोपी ने दिनांक 05/05/2011 को रात्रि 11:00 बजे बस स्टेण्ड बैहर में लोकमार्ग पर वाहन क्रमांक सी.जी.09/0108 को लापरवाहीपूर्वक एवं उपेक्षापूर्वक रीति से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया तथा उक्त वाहन को लापरवाही पूर्वक एवं उपेक्षापूर्ण रीति से चलाकर टक्कर मारकर आहत राजेश, सुरेशकुमार को साधारण उपहति एवं शेख हबीब को घोर उपहति कारित की। आरोपी रामकुमार सोनी के विरुद्ध मो0यान0अधि0 की धारा 146/196 के अंतर्गत आरोप है कि उसने उक्त दिनांक को वाहन क्रमांक सी.जी. 09/0108 के स्वामी होकर उक्त वाहन को बिना बीमा के चलवाया।

2. अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी शेख हबीब द्वारा थाना बैहर में सूचना दी गयी कि दिनांक 05/05/2011 को रात्रि करीब 11:00 बजे जब वह बस स्टेण्ड से समान खरीदकर अपने घर जा रहा था तभी मार्शल क्रमांक सी0जी-09/0108 के चालक ने तेज रफतार एवं लापरवाहीपूर्वक गाड़ी चलाकर उसे ठोस मार दिया तथा जीप वाला आगे जाकर खम्बे से टकरा गया। द

ाटना की सूचना पर आरोपी वाहन चालक के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के क्रम में आहतगण का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। घटना का मौकानक्शा बनाकर आरोपी को गिरफ्तार किया गया साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अंतिम प्रतिवेदन में प्रस्तुत किया गया।

3. न्यायालय द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध धारा 279,337,338 भा.द.वि. तथा धारा 146/196 मो0या0अधि0 के अंतर्गत अपराध की विशिष्टियां पढ़कर सुनाए व समझाए गए। आरोपीगण द्वारा आरोपित अपराध अस्वीकार कर विचारण चाहा तथा आरोपीगण का अभिवाक उसके शब्दों में अंकित किया गया। आरोपीगण ने धारा 313 द.प्र.स के अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना झूठा फंसाया जाना व्यक्त करते हुए बचाव साक्ष्य न देना प्रकट किया।

4. प्रकरण के निराकरण के लिए विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

(1) क्या आरोपी सुरेन्द्र ने दिनांक 05/05/2011 को रात्रि 11:00 बजे बस स्टेण्ड बैहर में लोकमार्ग पर वाहन क्रमांक सी.जी. 09/0108 को लापरवाहीपूर्वक एवं उपेक्षापूर्ण रीति से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया ?

(2) क्या आरोपी सुरेन्द्र ने उक्त घटना दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को लापरवाहीपूर्वक एवं उपेक्षापूर्ण रीति से चलाकर आहतगण राजेश, सुरेशकुमार को साधारण उपहति कारित किया ?

(3) क्या आरोपी सुरेन्द्र ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को लापरवाही पूर्वक एवं उपेक्षापूर्ण रीति से चलाकर आहत शेख हबीब को घोर उपहति कारित की ?

(4) क्या आरोपी रामकुमार सोनी ने उक्त घटना दिनांक,समय व स्थान पर अपने स्वामित्व के उक्त वाहन को बिना बीमा के चलवाया ?

::सकारण निष्कर्ष::

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1,2,3 तथा 4

साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने तथा सुविधा हेतु उक्त सभी विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

5. घटना के आहत शेख हबीब (अ.सा.1) का कथन है कि वह आरोपी तथा अन्य आहतगण को नहीं जानता है। घटना दिनांक 05.05.2012 को बस स्टेण्ड बैहर में 11:00 बजे की है। वह रात्रि में बस स्टेण्ड स्थित अपनी दुकान बंद

कर घर जा रहा था। उसी समय पीछे से मार्शल गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी जिससे वह गिर गया था। उसे होश नहीं था, जिसके बाद उसे रजियाबाई ने उठाकर पानी पिलाया था। घटना पुरानी होने से आज उसे मार्शल गाड़ी का नम्बर याद नहीं है। उसने पुलिस में रिपोर्ट प्र.पी01 की थी, उसका मुलाहिजा शासकीय अस्पताल बैहर में हुआ था। मौकानक्शा प्र.पी02 उसके सामने नहीं बनाया गया था। उक्त दस्तावेजों के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

6. घटना के अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षी रजिया (अ.सा.2) तथा मोहम्मद शाकिब (अ.सा.4) पक्षद्रोही रहे हैं। जिनहोंने घटना से स्पष्ट इंकार किया है। रजिया (अ.सा.2) ने पुलिस को कथन देने से इंकार कर मौकानक्शा प्र.पी02 के बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर होने से इंकार किया है। मोहम्मद शाकिर (अ.सा.4) ने पुलिस को प्र.पी06 के कथन देने से इंकार किया है।

7. डां. आर.के. चतुर्वेदी (अ.सा.3) का कथन है कि दिनांक 05.05.2011 को वह सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर में पदस्थ था। थाना बैहर से आरक्षक द्वारा राजेश ठाकुर को लाने पर उसका चिकित्सीय परीक्षण कर रिपोर्ट प्र.पी03 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। उक्त आहत के बायें हाथ पर एक चोट पाया था जो दो से चार घण्टे के भीतर की होकर शख्त एवं बोथरी वस्तु से आना संभव है। उसी दिनांक को शेख हबीब का परीक्षण करने पर कमर के बायें तरफ एक चोट रिपोर्ट प्र.पी04 के अनुसार पायी थी। उक्त चोटें दो से चार घण्टे के भीतर की होकर शख्त एवं बोथरी वस्तु से आना संभव थी। उसी दिनांक को शेख हबीब की कमर की हड्डी का एक्सरा आर्टीकल ए-1 कर हड्डी में डिप्रेस फ्रैक्चर होना पाया था।

8. जे.एल.बाघाड़े (अ.सा.5) का कथन है कि दिनांक 05.05.2011 को वह थाना बैहर में गस्ती आरक्षक के पद पर पदस्थ था तथा प्रधान आरक्षक स्व0 धनीराम भैरम के साथ कार्यरत होने के कारण उसके हस्ताक्षर से परिचित है। स्व0 धनीराम भैरम द्वारा अपराध क्रमांक 55/11 धारा 279, 337 भा.दं0सं0 के अंतर्गत जीप वाहन क्रमांक सी.जी.09/0108 के चालक के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र. पी01 दर्ज की थी। आहत राजेश, शेख हबीब, सुरेन्द्र कुमार का मुलाहिजा फार्म भरकर भेजा गया था। शेख हबीब, मो0 शाकिर तथा रजियाबाई के कथन लेखबद्ध किये थे। मौकानक्शा प्र.पी02 शेख हबीब की निशानदेही पर तैयार किया था। दिनांक 06.05.2011 को आरोपी सुरेन्द्रकुमार धुर्वे से गवाहों के समक्ष जप्ती कार्यवाही प्र.पी07 की गयी है जिसके ए से ए भाग पर स्व0 धनीराम भैरम के हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को आरोपी सुरेन्द्र कुमार को गवाहों के समक्ष गिरफ्तार किया गया है जो प्र.पी.08 है जिसके ए से ए भाग पर स्व0 धनीराम भैरम के

हस्ताक्षर हैं। आरोपी द्वारा शेख हबीब को घोर उपहति कारित करने से धारा 338 भा.दं0सं0 का इजाफा किया गया है। दिनांक 05.05.2011 को वाहन क्रमांक सी.जी. 09/0108 बिना बीमा के चलवाया जिसके विरुद्ध धारा 146/196 मो0व्ही0एक्ट को संज्ञान में लिया गया। उक्त वाहन को राजकमुमार सोनी द्वारा सुपुर्दगीनामा में लिया गया है।

09. उपरोक्त साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि घटना दिनांक 05.05.2011 को आहत शेख हबीब को गंभीर उपहति कारित हुई थी परंतु उक्त उपहति आरोपी द्वारा वाहन को उतावलेपन अथवा उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाकर कारित की गयी इस संबंध में साक्ष्य का अभाव है। घटना के एक मात्र साक्षी आहत शेख हबीब (अ.सा.1) ने आरोपी को पहचानने तथा मार्शल गाड़ी का नम्बर याद होने से इंकार किया है। अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षी पूर्णतः पक्षद्रोही रहे हैं। मात्र पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही के आधार पर अभियुक्त सुरेन्द्रकुमार धुर्वे के विरुद्ध कोई उपधारणा नहीं की जा सकती। शेख हबीब (अ.सा.1) के न्यायालयीन कथन तथा पुलिस कथन प्र.डी01 एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी01 में महत्वपूर्ण विरोधाभास है। जिस संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं है। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि गाड़ी पीछे से आयी थी जिसकी गति तथा चाल उसने नहीं देखा था। उसने मार्शल गाड़ी का नम्बर नहीं देखा था और ना ही अपनी रिपोर्ट प्र. पी01 एवं पुलिस बयान प्र.डी01 में बताया था। किसी भी साक्षी ने अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया है। घटना के अन्य आहतगण राजेश तथा सुरेशकुमार के संबंध में कोई भी तथ्य उपलब्ध नहीं है। घटना प्रश्नगत वाहन से होना सिद्ध नहीं है और ना ही अभियुक्त रामकुमार सोनी द्वारा उक्त वाहन को बिना बीमा के चलवाने के संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध है। अभियुक्त द्वारा गाड़ी चलाने तथा उपेक्षा से समर्थित कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह कहा जा सकता हो कि अभियुक्त द्वारा घटना दिनांक को सार्वजनिक लोकमार्ग पर उपेक्षापूर्ण तथा लापरवाही से वाहन चलाकर मानवजीवन संकटापन्न किया तथा उक्त वाहन को उपेक्षापूर्ण एवं लापरवाही से चलाकर टक्कर मारकर आहतगण को उपहति कारित की गयी।

10. अतः अभियुक्त सुरेन्द्र कुमार धुर्वे पिता रामसाय उम्र 29 वर्ष को भा. दं0सं0 की धारा 279, 337(दो बार), 338 एवं अभियुक्त रामकुमार सोनी पिता डिकरुप्रसाद उम्र 47 को मोटर यान अधिनियम की धारा 146/196 के तहत दण्डनीय अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

11. अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

12. आरोपीगण विवेचना या विचारण के दौरान अभिरक्षा में नहीं रहे हैं, इस संबंध में धारा 428 जा0फौ0 का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया।

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बैहर, बालाघाट (म.प्र.)

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बैहर, बालाघाट (म.प्र.)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)